समुद्री वनस्पतिजात एवं जीवजात की जव सक्रियता के लिए जांच एवं चिर चित्रण किया जाना है । औषधियों के विकास के लिये जैव सक्रियता के सबंध में आशाजनक वनस्पतिजात एवं जीवजात पर अनुधान जारी है ।

Publication of Civil Lists

3209. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the approximate dates of publication of the latest Civil Lists of various All India Services and Central Government Services like IAS, CAS, IPS, IFS, CCS, etc;

(b) which are priced publication for public sale; and

(c) whether some of them are for Departmental only; if so, the reasons for which they are not made available to public in these days of open Government, fair play, transparency, etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) and (b) This Department publishes Civil Lists annually during Feb/Mar. in respect of the Indian Administrative Service Officers which are priced publications for public sale.

(c) Does not arise.

तकनीकी काम करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

3210. **श्री विठठलराव माधवराव जाधव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) सरकारी सेवाओं और सार्व जनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तकनीकी काम करने वाले कर्मचरियों के लिए सेवानिवृत्ति की क्या आयु तय की गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि तकनीकी काम के लिये नियुक्त कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में ही कई वर्ष लग जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तय करेगी ;

(घ) यदि हा, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती मारगेट आल्वा) : (क) से (ङ) कामगारों तथा समूह "घ" पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों जैसी कतिपय श्रेणियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये अधिवार्षिता की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है । किन्तु परमाणु ऊर्जा विभाग, अन्तरिक्ष विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिको के संबंध में अधिवार्षिता की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है । प्रशिक्षण, अन्तर्लयन अथवा कार्य करने की अवधि अधिवार्षिता की आयु निर्धारित करने के लिये कोई सगत कारण नहीं है, इसलिये तकनीकी कार्मिकों की अधिवार्षिता की आयु 65 वर्ष निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Cases decided by CAT against Government

3211. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more then fifty per cent of the cases adjudicated by the Central Administrative Tribunal were decided against Government as per the sample analysis carried out by the Department of Personnel & Training;

(b) whether large scale litigation arose due to not following the laid down rules and regulations, procedures, etc. properly; and

(c) if so, the steps taken by Government to check this state of affairs and to ensure that power vested in the authorities is not misued to harass the employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) No sample study has been conducted exclusively with a view to know as to how many cases are being decided against the Government or vice versa.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

संघ लोक सेवा आयोग की परिक्षायें

3212. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं की परीक्षा का माध्यम बनाने और अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ।

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आलवा) : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं की अंग्रेजी के साथ-साथ प्रयोग की अनुमति पहले ही दे दी गई है । आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कुछ अन्य परीक्षाओं में भी अंग्रेजी या हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प उपलब्ध है ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं में माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को शामिल करने तथा अंग्रेजी को अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में समाप्त करने की मांग को डा० सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में गठित एक विशेष समिति को भेजा गया था । सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है लेकिन अभी तक इसकी सिफारिशों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

Action against brokers' in Bofors case

3213 .SHRI SATISH PRADHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state

(a) whether it is a fact that Swiss Government will submit all the confidential papers regarding Bofors guns deals to Government of India;

(b) whether Government propose to declare the names of the brokers involved in this case and the total amount of brokerage;

(c) what action Government propose to take against the persons involved in this case; and

(d) whether Government would appoint Parliamentary Committees to equire in the matter or take action as per the provision of the law?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) to (d) The decision of the Examining Magistrate of Geneva on the transmission of documents is still awaited. The nature of documents, the names of beneficiaries and other relevant details will be known only on receipt of the documents from Switzerland. Necessary action against those found involved will be taken in accordance with the law. One joint Parliamentary Committee had already looked into the matter and its report was laid on the Table of Parliament on 26-4-88. At present, the matter is under consideration of the Examining Magistrate in Geneva and is sub judice.